I/1205/2024

सत्यमेव जयते

संख्या 1205/जी0एस0(शिक्षा)/A3-139/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2024

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 231121094120, दिनांक 18.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, (अल्पसंख्यक संस्थान), ऊधम सिंह नगर को बी0ए0, एम0ए0, बी0बी0ए0 एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब (अल्पसंख्यक संस्थान) ऊधम सिंह नगर।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, चित्रकला)	240 सीट	2023–24
		एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान)	40 सीट प्रति विषय	
		एम0ए0 (अर्थशास्त्र)	40 सीट	
		बी0बी0ए0	60 सीट	

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 31/01/2024 11:57 am

I/1205/2024

		बी0एड0	50 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से प्राभूति उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–649, दिनांक 14.12.2016 में निहित व्यवस्थानुसार बंधक रखवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा, यदि अग्रेत्तर सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में विषयांकित पाठ्यक्रमों के अग्रेत्तर सत्र के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 29-01-2024 18:03:11

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 1205 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A3-139/2020** तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0-

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 31/01/2024 11:57 am